न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर शिविर, भोपाल

PBR/किसनी/रायसेन/भूरा/2017/4935 प्र.कं...../17–18

कनीराम पुत्र ओमकार सिंह
निवासी– ग्राम करैयाचौकी, दीवानगंज
तहसील व जिला–रायसेन, म.प्र. ... आवेदक

विरूद्ध

1. थानसिंह पुत्र रामप्रसाद
2. भगवानसिंह पुत्र गंगाराम
3. गोपालसिंह पुत्र करनसिंह

निवासी– ग्राम करैयाचौकी, दीवानगंज
तहसील व जिला–रायसेन, म.प्र. ... अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा–50 म.प्र.भू.रा.संहिता –1959

महोदय,

आवेदक न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त भोपाल द्वारा प्र.कं. 253/17–18 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2017 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत है ।

तथ्य

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिअपीलार्थी कं.–1 द्वारा तहसील न्यायालय में एक आवेदन और तथाकथित पंचनामा प्रस्तुत किया जिसमें सम्पूर्ण जांच उपरांत तहसील न्यायालय द्वारा उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रायसेन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो उनके आदेश दिनांक 31.10.2017 द्वारा स्वीकार की गई । उक्त आदेश के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई एवं साथ ही संहिता की धारा–52 के अन्तर्गत स्थगन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर आलोच्य आदेश पारित किया गया । अतएव यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है ।

वैधानिक आधार

01. यह कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधान एवं न्याय कै नैसर्गिक सिद्धांतो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/4935

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
26-10-2018	आवेदक पक्ष की ओर से श्री वीरेन्द्र मीणा उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 थानसिंह अपने अभिभाषक श्री नीरज श्रीवास्तव सहित उपस्थित । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पर निर्णय नहीं लेने के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । इस न्यायालय में भी दिनांक 28-2-18 के बाद से प्रकरण में कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में इस निगरानी को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं होने से यह निगरानी समाप्त की जाती है । उभय पक्ष अपर आयुक्त के समक्ष स्थगन के संबंध में पुन: विचार करने हेतु निवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं । अध्यक्ष	